संख्याः /VI-3/2024-30(14)/2023

प्रेषक,

अमित सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषय – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–581/2023 'राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड के खिलाडियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा थ्री टीयर ए0सी0 ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी' के क्रियान्वयन/पूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1433/मु0मं0घो0पत्रा0/2023–24, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023, पत्र संख्या–1664/मु0मं0घो0पत्रा0/2021–22, दिनांक 13 दिसम्बर, 2023, पत्र संख्या–2224/मु0मं0घो0पत्रा0/ 2022–23, दिनांक 19 फरवरी, 2024 के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–581/2023 के कियान्वयन/पूर्ति हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों को रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) दिये जाने की सुविधा की स्वीकृति के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–381/VI/2019–21(5)/2010, दिनांक 28 जून, 2019 को निम्न् तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार आंशिक रूप से संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

शासनादेश संख्या–381, दिनांक 28.06. 2019 का प्रस्तर/बिन्दु	**शासनादेश दिनांक 28.06.2019 में वर्तमान प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
1	2	3
प्रस्तर–1	इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली समस्त राज्य टीमों के खिलाड़ियों (मैनेजर और कोच सहित) प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल तक जाने एवं वापस का रियायती दर पर **स्लीपर क्लास का वास्तविक रेल किराया या मोटर वाहन का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो।** यदि रेल यात्रा के साथ पानी जहाज या मोटर वाहन से यात्रा आवश्यक हो, तो रेल किराया के साथ संबंधित उक्त यात्रा साधनों का वास्तविक किराया भी देय होगा, के सिद्धान्त के आधार पर (आरक्षण शुल्क सहित) पूर्ण किराये के भुगतान पर किया जाना।	इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली समस्त राज्य टीमों के खिलाड़ियों (मैनेजर और कोच सहित) प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल तक जाने एवं वापस का रियायती दर पर **ए0सी0 03 श्रेणी का वास्तविक रेल किराया या मोटर वाहन ए0सी0 बस (02 श्रेणी) का वास्तविक किराया दोनों में से जो भी कम हो।** यदि रेल यात्रा के साथ पानी जहाज या मोटर वाहन से यात्रा आवश्यक हो, तो रेल किराया के साथ संबंधित उक्त यात्रा साधनों का वास्तविक किराया भी देय होगा, के सिद्धान्त के आधार पर (आरक्षण शुल्क सहित) पूर्ण किराये के भुगतान पर किया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तर–1 का बिन्दु–3	रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) के किराये के अतिरिक्त प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिये प्रति 24 घन्टे हेतु ₹ 150.00 प्रति सदस्य हेतु भोजन भत्ता एवं प्रस्थान की तिथि से वापसी आने की तिथि तक अनुसांगिक व्यय ₹100.00 प्रति सदस्य हेतु एक बार देय होगा। साथ ही प्रदेशीय कीड़ा संघ को यह प्रमाण पत्र भी दिया जाना आवश्यक है कि खिलाड़ियों के रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित), भोजन भत्ता एवं अनुसांगिक व्यय का भुगतान उनके द्वारा ही वहन किया गया है।	रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित) के किराये के अतिरिक्त प्रस्थान स्थल से आयोजन स्थल की यात्रा अवधि एवं वापसी यात्रा अवधि के लिये प्रति 24 घन्टे हेतु ₹ 250.00 प्रति सदस्य हेतु भोजन भत्ता एवं प्रस्थान की तिथि से वापसी आने की तिथि तक अनुसांगिक व्यय ₹100.00 प्रति सदस्य हेतु एक बार देय होगा। साथ ही प्रदेशीय कीड़ा संघ को यह प्रमाण पत्र भी दिया जाना आवश्यक है कि खिलाड़ियों के रेल किराया (आरक्षण शुल्क सहित), भोजन भत्ता एवं अनुसांगिक व्यय का भुगतान उनके द्वारा ही वहन किया गया है।

2– उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–381/VI/2019–21(5)/2010, दिनांक 28 जून, 2019 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024–25 से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों पर लागू होगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में एवं वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई0 संख्या– I/218631/2024, दिनांक 18 जून, 2024 में प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–215/VI-3/2024, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
4. सचिव, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिला क्रीडा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner